न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

1/23

प्रकरण संख्याः–99/21

निर्णय दिनांकः 18.01.2023

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी ग्राम लोढाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

वादीगण निम्न निवेदन करते है:–

ग्राम लोढाहेड़ा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नं0 313 की 0.01 है0, खसरा नं0 314 की 1.33 है0, खसरा नं0 315 की 1.34 हे0, खसरा नं0 315/965 की 1.34 है0, खसरा नं0 608 की 0.02 हे0, व खसरा नं0 616 की 0.06 हे0, कुल किता 06 की कुल 4.10 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी हिस्सा 1/14, भंवरलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/7, गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल हिस्सा 1/14 हिस्सा जाति किराड निवासीगण लोढाहेडा तहसील कनवास व अन्य सहखातेदारान के नाम से दर्ज है।

श्री भंवरलाल पुत्र मन्नालाल वादी के चाचा है, व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल वादी की बहिन है, जिन्होने उक्त कृषि भूमियों में दर्ज कमशः भंवरलाल के हिस्से 1/7 व गट्टूबाई के हिस्से 1/14 की भूमियों को पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के द्वारा वादी को दे दिया था, तथा बाद रिलिज उनके उक्त हिस्से की भूमि पर कब्जा भी वादी को संभाला दिया था, तब से वादी उक्त कृषि भूमियों पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, तथा वर्तमान में भी काबिज होकर वादी ने उक्त भूमि में फसल की बुवाई की हुई है।

श्री भंवरलाल व गट्टूबाई द्वारा उक्त वर्णित भूमि में उनके हिस्से की भूमि को वादी के पक्ष में पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के द्वारा करने के उपरान्त वादी ने हल्का पटवारी जी को उक्त पंजीकृत रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करने के लिए रिलीज डीड की फोटो प्रति दे दी थी, उक्त रिलीजडीड के आधार पर प्रतिवादी को वादी के नाम से रिलीज शुदा भूमि में नामान्तरण तस्दीक करना था। दिनांक 18.08.2021 को वादी ने किसी कार्यवश अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि से सम्बन्धित खाते की नकल प्राप्त की, तो वादी की जानकारी में आया, कि अभी भी उसके पक्ष में पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया है, तथा उक्त कृषि में अभी भी वादी के पक्ष में रिलीजकर्ता भंवरलाल पुत्र मन्नालाल जाति किराड व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी रामेश्वर जाति किराड का ही नाम खाते में दर्ज है, इस पर वादी ने हल्का पटवारी जी से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा, कि तुम्हारी इस रिलीज डीड में बद्रीबाई के हिस्से के बाबत भी लिखा हुआ है, जिसका नामान्तरण तुम्हारे नाम से नहीं किया जा सकता है, इस पर वादी ने हल्का पटवारी जी से कहा, कि मुझे तो केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज भंवरलाल पुत्र मन्नालाल नामान्तरण हिस्सा 1/7 व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल हिस्सा 1/14 पर ही

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

नाम दर्ज चाहिए, परन्तु इसके लिए भी हल्का पटवारी जी ने मना कर दिया, और कहा कि तुम इस रिलीज डीड के आधार पर एस डी ओ साहब के न्यायालय में कार्यवाही करो, वहा से जैसा भी आदेश आवेगा, उसकी पालना में ही हम इन्तकाल खोलेंगे। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया, कि वह प्रतिवादी के लिए पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 15.03.2019 के आधार पर रिलीज शुदा भूमि में अपने हक की खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती आदि कि सहायताएं चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करे, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वाद कारण दिनांक 18.08.2021 को उत्पन्न हुआ, जब वादी की जानकारी अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम लोढाहेडा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नं0 313 की 0.01 है0, खसरा नं0 314 की 1.33 है0, खसरा नं0 315 की 1.34 है0, खसरा नं0 315/965 की 1.34 है0, खसरा नं0 608 की 0.02 है0, व खसरा नं0 616 की 0.06 है0, कुल किता 6 की कुल 4.10 है0, कृषि भूमि में पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के द्वारा रिलीज शुदा भंवरलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/7, गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल हिस 1/14 हिस्सा की कृष भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर भंवरलाल पुत्र मन्नालाल व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादी क विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे, कि वह ग्राम लोढाहेडा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नं0 313 की 0.01 है0, खसरा नं0 314 की 1.33 है0, खसरा नं 315 की 1.34 है0, खसरा नं0 315/965 की 1.34 हे0, खसरा नं0 608 की 0.02 हे0, व खसरा नं0 616 की 0.06 है0, कुल किता 06 की कुल 4.10 हे0, कृषि भूमि में वादी के अतिरिक्त किन्ही अन्य व्यक्तियों के नाम से नामान्तरण तस्दीक नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को तलवी जर्ये सम्मन की गई। तामिल बाद सम्मन प्राप्त जो शामिल पत्रावली किए गये। पत्रावली पर जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया गया साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं वाद पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादी द्वारा सीधे ही बहस सुनी जाकर दावा डीक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वादी एक तरफा सुनी गई। वादी का वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया । वाद पत्र में संलग्न दस्तावेजो व प्रस्तुत जवाब सरकार के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल की माल ग्राम लोढाहेडा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नं0 313 की 0.01 हे0, खसरा नं0 314 की 1.33 हे0, खसरा नं0 315 की 1.34 हे0, खसरा नं0 315/965 की 1.34 हे0, खसरा नं0 608 की 0.02 हे0, खसरा नं0 616 की 0.06 हे0, कुल किता 06 की रकबा 4.10 हे0, कृषि भूमि में पंजीकृत रीलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के द्वारा रीलीज शुदा भूमि भूमि से रिलीज कर्ता भंवरलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/7, गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल हिस्सा 1/14 हिस्सा, कृषि भूमियों पर वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड माल ग्राम लोढाहेडा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा से भंवरलाल पुत्र मन्नालाल व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल का नाम रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा उनके स्थान पर वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनाक **18.01.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

File No. ...

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या:–2021/431 निर्णय दिनांक: 11.01.2023

बउनवान

1 ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी ग्राम लोढाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

वादी

बनाम

2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **99/21** सन **2021** तारीख फैसला **11.02.2023** **न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी अशोक कुमार जैन एडवोकेट **वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल की माल ग्राम लोढाहेडा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नं0 313 की 0.01 हे0, खसरा नं0 314 की 1.33 हे0, खसरा नं0 315 की 1.34 हे0, खसरा नं0 315/965 की 1.34 हे0, खसरा नं0 608 की 0.02 हे0, खसरा नं0 616 की 0.06 हे0, कुल किता 06 की रकबा 4.10 हे0, कृषि भूमि में पंजीकृत रीलीजडीड दिनांक 15.03.2019 के द्वारा रीलीज शुदा भूमि भूमि से रिलीज कर्ता भंवरलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/7, गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल हिस्सा 1/14 हिस्सा, कृषि भूमियों पर वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड माल ग्राम लोढाहेडा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा से भंवरलाल पुत्र मन्नालाल व गट्टूबाई पुत्री सुन्दरलाल का नाम रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा उनके स्थान पर वादी ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18.01.2023** माह जनवरी **2023** को जारी की गई।

मोहर ....

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with ACE Scanner

कनवास

मुद्दई	रुपया		मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्पअर्जीदावा	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	---NIL---	-
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास